सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 252 राँची, गुरूवार, 4 मई, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

4 मई, 2023

अधि.सं.-परि.वि.-174/09-461--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक सह-पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते) नियमावली, 2010 (अद्यतन यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है :-

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते) (संशोधन)

नियमावली, 2023

1. <u>नाम, विस्तार और प्रारंभ</u>:-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023" कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2023 में अधिसूचित प्रावधानों के आलोक में झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (अद्यतन यथा संशोधित) को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

(क) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2010 (यथा संशोधित 2021 राजकीय गजट संख्या-16, दिनांक-24.01.22) के भाग-2 के नियम-4 (i) के प्रावधान का निम्नवत प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्त्तमान प्रावधान	**प्रतिस्थापन**
"नियम-4 (i) **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** :- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। यांत्रिक/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"	"नियम-4 (i) अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मोटरयान निरीक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक/ ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा की उपाधि। यांत्रिक/ ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे।"

3. झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियमावली, 2010 (अद्यतन यथासंशोधित) के शेष नियम यथावत रहेंगे।

4. उपरोक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-421, दिनांक-26.04.2023 के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-27.04.2023 (मद संख्या-23) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

के. श्रीनिवासन
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 252 -- 50